न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
350 / 2025	16.06.2025	07-04-2026

उनवान

1. श्री सोनाराम पिता स्व0 बक्षुलाल जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्रीमति संतोष देवी पत्नि स्व0 बक्षुलाल जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. श्री अजय पिता स्व0 बक्षुलाल जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. श्री मुकेश पिता स्व0 बक्षुलाल जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. श्री गोपाल लाल पिता देवा जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. श्री शंकर लाल पिता देवा जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. श्रीमति शान्ता पुत्री देवी जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री मगना पिता धन्ना जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्री राजेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र जोशी जाति जोशी निवासी भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. श्रीमति कंकु पुत्री भेरू जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. श्री गोपाल पिता रंगा जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. श्रीमति संजना पुत्री भेरू जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. श्रीमति सोहनी पत्नि रंगा जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. श्रीमति लाड पत्नि राजु जाट जाति जाट निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
8. श्रीमति अमरी पुत्री घीसा गाडरी जाति गाडरी निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
9. श्रीमति उदी पुत्री घीसा गाडरी जाति गाडरी निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
10. श्री गणेश पिता घीसा गाडरी जाति गाडरी निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
11. श्री प्रभू पिता घीसा गाडरी जाति गाडरी निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
12. श्रीमति रामधणी पुत्री घीसा गाडरी जाति गाडरी निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
13. श्रीमति लादी पत्नि घीसा गाडरी जाति गाडरी निवासी अगरपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
14. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा (राज0)

—— **विपक्षीगण**

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थितः—

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री कन्हैया लाल सेन उपस्थित।
2. प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल सेन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 592 रकबा 0.4805 हैक्टेयर आराजी संख्या 795/1 रकबा 0.2213 हैक्टेयर कुल किता 02 दो कुल रकबा 0.7018 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती करा मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 592 रकबा 0.4805 हैक्टेयर आराजी संख्या 795/1 रकबा 0.2213 हैक्टेयर कुल किता 02 दो कुल रकबा 0.7018 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ......7.1.4.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो और नंबर से कम हो।

7/4/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा